ालक मजिस्ट्रेट आमेर मु0 जयपुर
इकाम

ुत किया हुआ मानकर तथा
ार न्यायालय के विवेकाधीन
अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की
यह अपेक्षा कि जाती है कि
पर एक पक्षीय आदेश की
कार्यवाही कर इस न्यायालय
ेश 39 नियम (3) (क) के
करें। अन्यथा अंतरिम आदेश
निस्तारित करने से पूर्व
वं अंतर्निहित शक्तियों का
ों में यह अंतरिम अस्थाई
मे परिवर्तन की दशा में
गी। अप्रार्थीगण को जरिए
े। पत्रावली दिनांक 22.10.

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
आमेर मु. जयपुर

ो। अपत्रावली नं. 2 की
गई। पत्रावली
वास्ते
को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

न्यायालय : — सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट आमेर मु0 जयपुर
र्द अहकाम

प्रार्थना पत्र (T.I)

कालू बनाम सोनी देवी

संख्या : 82/2019

3-12-19	आज यह पत्रावली मूल वाद के साथ शीघ्र सुनवाई प्रा॰ पत्र एवं विड्रो प्रा॰ पत्र पेश होने पर तलब की गई। मूल वाद वादी अधिवक्ता द्वारा विड्रो प्रा॰ पत्र प्रस्तुत किये जाने पर एवं स्वीकार होने पर खारिज किया जा चुका है। अत: इस पत्रावली में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अत: प्रा॰ पत्र (T.I) विड्रो के आधार पर खारिज किया जाता है। दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Juhi Bhargava
Date: 2020.03.05 11:10:34 IST
Reason: SelfAttested